।। कार्यालय, जिला परिषद्, दुमका ।।

E-mail- z.pdumka2014@gmail.com

नोटिस

1. सोलह आना रैयत, ग्राम भालसुमर।
2. ग्राम प्रधान भालसुमर।
3. मुखिया ग्राम पंचायत भालसुमर।
4. उप मुखिया ग्राम पंचायत भालसुमर।
5. पंचायत समिति सदस्य, भालसुमर।
6. श्रीमती सुलोचना देवी, जिला परिषद सदस्य।

विषय :— **भालसुमर दुर्गा मेला बंदोबस्ती डाक के संबंध में।**

बजरिये इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि भालसुमर दुर्गा मेला सैरात का डाक बंदोबस्ती हेतु दिनांक—04.10.2024 को 11:30 बजे पूर्वाह्न प्रखंड स्थित सभागार कक्ष रामगढ़ में आम डाक तिथि निर्धारित की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक—1652/वि0, दिनांक—01.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक—01.10.2024 को बुलाये गये सैरात बंदोबस्ती की राशि—250000.00(दो लाख पचास हजार)रू0 निर्धारित रहने के कारण सोलह आना रैयत द्वारा डाक लेने में असमर्थता व्यक्त की गई है, जिस कारण बंदोबस्ती की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पाई।

पुनः दिनांक—04.10.2024 को तिथि निर्धारित करते हुए भालसुमर दुर्गा मेला वित्तीय वर्ष 2024—25 की बंदोबस्ती हेतु 150000.00(एक लाख पचास हजार)रू0 मात्र सुरक्षित राशि निर्धारित की जाती है, जिससे डाक की बोली प्रारंभ की जायेगी।

अतः सोलह आना रैयत में से कोई भी निर्धारित तिथि एवं समय पर आम डाक में भाग लेकर उच्चतम बोली लगाकर वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये सैरात की बंदोबस्ती ले सकते हैं, उच्चतम डाक वक्ता को ही वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिये सैरात की बंदोबस्ती आवंटित की जायेगी।

उच्चतम डाकवक्ता को डाक की शत् प्रतिशत राशि डाक के उपरांत उसी तिथि को प्रखंड कार्यालय में जमा कर पावती लेना सुनिश्चित करेंगे। एवं शेष राशि मेला अवधि के पश्चात् 07 दिनों के अन्दर प्रखंड कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ को निदेश दिया जाता है कि अपनी उपस्थिति में पूरी डाक की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही विगत् वर्ष के उच्च डाक वक्ता श्री भवेश मांझी द्वारा यदि डाक की बकाया राशि दिनांक—04.10.2024 को होनेवाली डाक प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व तक जमा नहीं की जाती है, तो उन्हें डाक प्रक्रिया में भाग लेने पर पाबंदी रहेगी।

उप विकास आयुक्त —सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, दुमका।

ज्ञापांक—322/जि0प0, दुमका दिनांक—04/X/2024

प्रतिलिपि :— प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका व्यापक प्रचार—प्रसार कराते हुए निर्धारित तिथि व समय पर डाक प्रक्रिया को निष्पादित करना सुनिश्चित करेंगे। विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :— अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जिला परिषद, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— उपायुक्त महोदय, दुमका को सूचनार्थ समर्पित।

उप विकास आयुक्त —सह—
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, दुमका।

Scanned with OKEN Scanner